संख्या-132/2026/1345/सैंतीस-2-2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-05 जून, 2026

विषयः-जनपद झांसी में पशुपालन विभाग की 05 एकड़ भूमि पर गो आश्रय स्थलों की स्थापना, पशुचिकित्सा एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन सोनागिरी, शाखा झांसी से एम0ओ0यू0 (द्विपक्षीय समझौता पत्र) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपद झांसी में पशुपालन विभाग की 05 एकड़ भूमि पर गो आश्रय स्थलों की स्थापना, पशुचिकित्सा एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन सोनागिरी, शाखा झांसी से एम0ओ0यू0 (द्विपक्षीय समझौता पत्र) किये जाने के सम्बन्ध में बुन्देलखंड क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में निराश्रित गोवंशों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, विचरण कर रहे निराश्रित गोवंशों को संरक्षित किये जाने एवं रात्रि के समय घायल पशुओं के आकस्मिक उपचार की सुविधा सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ग्राम सभा बम्हरौली परगना मोंठ, तहसील मोंठ, जनपद झांसी में गाटा संख्या-606 मि0 रकबा 9.777 हे0 भूमि में से पशुपालन विभाग की 05 एकड़ भूमि पर निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन सोनागिरी, शाखा झांसी द्वारा गो आश्रय स्थलों की स्थापना, पशुचिकित्सा हेतु पशुचिकित्सालय का निर्माण एवं अन्य सहयुक्त गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। प्रश्नगत भूमि पर पशुपालन विभाग का स्वामित्त्व बना रहेगा। उपर्युक्त गतिविधियों के संचालन हेतु निम्नवत शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुबंध किया जाना है-

(1.1)- निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन, सोनागिरी, शाखा झांसी, पंजीकरण संख्या MP0959 2020 A 1859048 के साथ द्विपक्षीय एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 एवं निजी संस्था के मध्य किया जायेगा।

(1.2)- प्रश्नगत भूमि का निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन के साथ 30 वर्षों के लिये निर्धारित प्रयोजन हेतु द्विपक्षीय एम0ओ0यू0 किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1.3)- हस्तान्तरित भूमि पर स्थापित अवस्थापनाओं का उपयोग निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन द्वारा केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस उद्देश्य का उल्लेख द्विपक्षीय समझौते में होगा।

(1.4)- पशुचिकित्सालय का निर्माण यथावश्यकता सम्बन्धित स्थानीय निकाय की अनुमति से किया जाएगा, जिसकी अनुमति निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेगी।

(1.5)- निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन द्वारा भूमि का कामर्शियल उपयोग नहीं किया जायेगा।

(1.6)- निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन द्वारा समस्त प्रकार के अवस्थापना कार्य (बाउण्ड्रीवाल सहित) अपने स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

(1.7)- समस्त प्रकार के आवर्ती व्यय निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन द्वारा किये जायेंगे।

(1.8)- समस्त प्रकार के घायल पशुओं यथा हाईवे पर घायल गोवंश आदि की चिकित्सा निःशुल्क की जायेगी, जिसका व्यय दया भावना फाउण्डेशन द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(1.9)- निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन द्वारा पशु चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के उपरान्त शेष भूमि पर निराश्रित गोवंश हेतु गौशाला निर्माण एवं गोवंशों के भरण पोषण हेतु हरा चारा इत्यादि का उत्पादन किया जायेगा।

(1.10)- पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर यथावश्यक अन्य पशुओं की भी चिकित्सा दया भावना फाउण्डेशन द्वारा निःशुल्क की जायेगी।

(1.11)- एम0ओ0यू0 की अवधि समाप्त होने के उपरान्त सरकार यथास्थिति में भूमि व सृजित/निर्मित अवस्थापना को वापस प्राप्त कर लेगी।

(1.12)-उक्त भूमि/प्रस्तावित निर्मित परिसर में किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य अथवा द्विपक्षीय अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने हेतु उ0प्र0 सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(1.13)-निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन द्वारा उक्त भूमि/प्रस्तावित निर्मित परिसर को बंधक नहीं किया जायेगा।

(1.14)-निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन द्वारा उक्त भूमि पर गो आश्रय स्थलों की स्थापना, पशुचिकित्सा एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के संचालनार्थ पशुपालन विभाग के स्थानीय अधिकारी अर्थात मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, झांसी को पर्यवेक्षण दायित्त्व दिया जाएगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, झांसी द्वारा प्रगति की मासिक रिपोर्ट निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग व शासन को प्रेषित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त शर्तों सहित ग्राम सभा बम्हरौली परगना मोंठ, तहसील मोंठ, जनपद झांसी में गाटा संख्या 606 मि0 रकबा 9.777 हे0 भूमि में से पशुपालन विभाग की 05 एकड़ भूमि पर निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन सोनागिरी, शाखा झांसी से उनके स्वयं के व्यय पर गो आश्रय स्थलों की स्थापना, पशुचिकित्सा एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु अनुबंध किया जाना है, जो कि सरकार की कल्याणकारी नीति के अनुरूप है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-132/2026/1345(1)/सैंतीस-2-2026तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अध्यक्ष, दया भावना फाउण्डेशन, सोनागिरी शाखा, झांसी।

(2) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।